बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय,झाँसी

वित्त समिति की बैठक दिनांक 26.07.2022 की कार्यवाही

एफ.सी.–01/2022

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, कानपुर रोड,
झाँसी(उ0प्र0)–284128

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय,झाँसी

दिनांक 26.07.2022 की वित्त समिति की बैठक की कार्यवाही

स्थान : कुलपति समिति कक्ष
समय : अपरान्ह 12:00 बजे
दिनांक : 26.07.2022

उपस्थिति,

1. –प्रो. मुकेश पाण्डेय कुलपति	–	अध्यक्ष
2. –डा0 राजेश प्रकाश क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी झांसी मण्डल, झांसी (सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा नामित)	–	सदस्य
3. –श्री रामकृपाल बिन्द अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, झांसी मण्डल, झांसी (सचिव, (वित्त) द्वारा नामित)	–	सदस्य
4. –श्री रामकृपाल बिन्द मुख्य कोषाधिकारी कोषागार, झांसी	–	सदस्य
5. –श्री विनय कुमार सिंह कुलसचिव	–	सदस्य
6. –श्री राजबहादुर परीक्षा नियंत्रक	–	सदस्य
7. –वसी मोहम्मद वित्त अधिकारी	–	सदस्य सचिव

वित्त समिति की कार्यवाही का विवरण

(क) वित्त समिति की बैठक दिनांक 29.03.2022 की सम्पुष्टि पर विचार।

समिति की कार्यवाही –

वित्त समिति की बैठक दिनांक 29.03.2022 की सम्पुष्टि समिति द्वारा की गई।

1. **प्रस्तुत एजेण्डा बिन्दु संख्या – 01**

वित्तीय वर्ष 2021–22 का वास्तविक एवं वित्तीय वर्ष 2022–23 का दिनांक 30 जून, 2022 तक का अद्यतन आय–व्ययक माननीय वित्त समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

1. उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 में रू. 118.81 करोड़ की आय का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसके सापेक्ष रू. 125.56 करोड़ की आय की प्राप्ति हुयी जोकि निर्धारित लक्ष्य का 106 प्रतिशत है। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2021–22 में रू. 84.20 करोड़ की धनराशि के व्यय का अनुमान निर्धारित किया गया था जिसके सापेक्ष रू. 74.67 करोड़ की धनराशि व्यय की गयी, जोकि निर्धारित व्यय के अनुमान के सापेक्ष 88.68 प्रतिशत है। इस प्रकार विश्वविद्यालय द्वारा अपने व्यय में कटौती की गयी तथा आय के निर्धारित लक्ष्य से रू. 6.75 करोड़ की धनराशि की अधिक आय अर्जित की गयी।
2. वित्तीय वर्ष 2022–23 में दिनांक 30 जून, 2022 तक आय मद अन्तर्गत् रू. 22.05 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुयी है तथा रू. 17.58 करोड़ की धनराशि व्यय हुयी है।

कृपया आय–व्ययक माननीय वित्त समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

समिति की कार्यवाही –

माननीय समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 का आय–व्ययक अनुमोदित किया गया तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 में दिनांक 30 जून, 2022 तक आय एवं व्यय का अनुमोदन किया गया।

26/07/2022

2. **प्रस्तुत एजेण्डा बिन्दु संख्या – 02**

विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में आवश्यकता के दृष्टिगत् विभिन्न मानक मदों में व्यय को वहन करने हेतु अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

1. मान्नीय राज्यपाल सचिवालय से प्राप्त दिशा-निर्देशो के क्रम में कैम्पस के आवासों में दक्षिणान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, झाँसी द्वारा मीटर लगाये जाने हैं जिसके लिए विद्युत विभाग द्वारा पुरानी पावर लाइन, खम्भों एवं ट्राँसफार्मर आदि को बदलने हेतु रू. 1.50 करोड़ की मांग प्रेषित की गयी है। साथ ही विश्वविद्यालय हेतु वाटर कूलर एवं आर.ओ. के क्रय, नये फायर एस्टिंगयूसर के क्रय एवं पुराने फायर एस्टिंगयूसरों को भरवाने हेतु रू. 70.00 लाख, कम्प्यूटर/उपकरण मद में रू. 100.00 लाख की आवश्यकता है।

   उक्त धनराशि का व्यय राजस्व व्यय (नियमित) मद से वहन करने हेतु धनराशि की व्यवस्था किये जाने का प्रस्ताव मान्नीय समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

2. आउटडोर स्टेडियम की रिटेनिंग वॉल हेतु रू. 2.00 करोड़ तथा प्रशासनिक भवन के पीछे की रिटेनिंग वॉल के निर्माण हेतु रू. 90.00 लाख, इस प्रकार कुल रू. 2.90 करोड़ पूँजीगत् व्यय मद में विश्वविद्यालय की आय/पूर्व की बचतों से वहन करने का प्रस्ताव मान्नीय समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

समिति की कार्यवाही –

मान्नीय समिति द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मद अन्तर्गत् रू. 25.00 लाख की अतिरिक्त व्यवस्था के साथ प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

3. **प्रस्तुत एजेण्डा बिन्दु संख्या – 03**

खेल परिषद की बैठक दिनांक 21.07.2022 में लिये गये निर्णयानुसार अखिल भारतीय/अन्तर विश्वविद्यालयीय एवं खेलो इण्डिया प्रतियोगिता में पदक विजेताओं को वित्तीय पुरस्कार प्रदान करने एवं अंशकालिक खेल प्रशिक्षक नियुक्त करने हेतु प्रस्ताव मान्नीय वित्त समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

1. उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अखिल भारतीय/अन्तर विश्वविद्यालयीय एवं खेलो इण्डिया प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को वर्तमान में कैश धनराशि के रूप में पुरस्कार दिये जाने का प्रावधान नहीं है। अतः इन प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों के प्रोत्साहित करने हेतु विश्वविद्यालय की खेल परिषद की बैठक दिनांक 21.07.2022 में खिलाड़ियों को वित्तीय

प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया गया है। खेल परिषद द्वारा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ में पदक विजेता खिलाड़ियों को प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि में आंशिक संशोधन कर प्रोत्साहन राशि प्रदान किये जाने हेतु संस्तुति की गयी है। (प्रस्ताव संलग्न)
उक्त प्रस्ताव मान्नीय वित्त समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

क्र. सं.	पदक	अखिल भारतीय / अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता (व्यक्तिगत खेल प्रतियोगिता)	अखिल भारतीय/अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता (टीम खेल प्रतियोगिता)	खेलो इंडिया अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता (व्यक्तिगत खेल प्रतियोगिता)	खेलो इंडिया अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता (टीम खेल प्रतियोगिता)
1	स्वर्ण पदक	51000/	31000/	51000/	31000/
2	रजत पदक	41000/	21000/	41000/	21000/
3	कांस्य पदक	31000/	11000/	31000/	11000/

2. अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय में खेल का स्तर बढ़ाने एवं खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु दिनांक 21.07.2022 को आहूत खेल परिषद की बैठक में क्रीड़ाधिकारी डा0 सूरजपाल सिंह द्वारा प्रस्तावित विभिन्न खेलों हेतु अंशकालिक खेल प्रशिक्षको की सेवाएं नियत मानदेय पर लिये जाने हेतु खेल परिषद द्वारा सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गयी। (प्रस्ताव संलग्न) उक्त प्रस्ताव मान्नीय वित्त समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

S.N.	GAME	QULIFICATION	REMUNERATION PER MONTH	DURATION
1.	CRICKET	NSNIS/INTERNATIONAL/ NATIONAL/INTER UNI.	25000/30000/20000/10000	SIX MONTHS
2.	KHO-KHO	NSNIS/INTERNATIONAL/ NATIONAL/INTER UNI	25000/30000/20000/10000	SIX MONTHS
3.	KABADDI	NSNIS/INTERNATIONAL/ NATIONAL/INTER UNI	25000/30000/20000/10000	SIX MONTHS
4.	VOLLEY BALL	NSNIS/INTERNATIONAL/ NATIONAL/INTER UNI	25000/30000/20000/10000	SIX MONTHS
5.	ATHLETICS	NSNIS/INTERNATIONAL/ NATIONAL/INTER UNI	25000/30000/20000/10000	SIX MONTHS
6.	GYMNASTICS /MALKHAMB	NSNIS/INTERNATIONAL/ NATIONAL/INTER UNI	25000/30000/20000/10000	SIX MONTHS
7.	BADMINTON	NSNIS/INTERNATIONAL/ NATIONAL/INTER UNI	25000/30000/20000/10000	SIX MONTHS

समिति की कार्यवाही –

क्रमांक 01 पर अंकित प्रस्ताव मान्नीय समिति द्वारा इस निर्देश के साथ अनुमोदित किया गया कि व्यक्तिगत् खेल प्रतियोगिता के साथ–साथ टीम प्रतियोगिता में जीते गये मेडल के अनुसार (यथा गोल्ड, सिल्वर, कांस्य पदक) विजेता टीम में सम्मिलित प्रत्येक खिलाड़ी को उपरोक्तानुसार धनराशि (यथा रू. 31,000/–, रू. 21,000/–, रू. 11,000/–) कैश पुरस्कार के रूप में देय होगी।

क्रमांक 02 पर अंकित प्रस्ताव मान्नीय समिति द्वारा इस निर्देश के साथ अनुमोदित किया गया कि –

1. अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों की सेवाएं अत्यन्त आवश्यक होने पर एवं न्यूनतम संख्या में ही ली जायेंगी।
2. अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों की सेवाएं उन्ही खेलों के लिए ली जायेंगी जिन खेलों में युक्त–युक्त पर्याप्त/निर्धारित संख्या में खिलाड़ी उपलब्ध हों।
3. अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों का चयन मान्नीय कुलपति जी द्वारा निर्धारित चयन समिति द्वारा पूर्ण पारदर्शिता से किया जायेगा।
4. आवश्यकता के अनुसार अंशकालिक खेल प्रशिक्षक 01 से 06 माह तक के लिए रखे जा सकेगें एवं प्रतिदिन प्रशिक्षण की समयावधि (घण्टों में) भी निर्धारित की जायेगी।
5. उपरोक्त क्रमांक 02 की तालिका में क्वॉलीफिकेशन अन्तर्गत् प्रशिक्षक सम्बन्धी अर्हताएं भी समिति द्वारा सम्मिलित की जायेंगी।

4. प्रस्तुत एजेण्डा बिन्दु संख्या – 04

प्रदेश में नवनिर्मित एवं निर्माणाधीन महाविद्यालयों को सम्बन्धित विश्वविद्यालय के क्षेत्रांतर्गत संघटक महाविद्यालय के रूप में चलाने के सम्बन्ध में।

1. उच्च शिक्षा अनुभाग–05 उत्तर प्रदेश शासन के महत्वपूर्ण पत्र संख्या–121/सत्तर–5–2020–04/2021 दिनांक 15 जनवरी 2021 के द्वारा उपरोक्त विषयक दिशा निर्देश निर्गत किये गये है। जिसके कम में राजकीय महाविद्यालय, जखौरा जिला–ललितपुर एवं राजकीय महाविद्यालय, पाली चित्रकूट को विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालय के रूप में संचालित किया जाना है। उक्त दोनों महाविद्यालयों में सत्र 2022–23 से बी.ए. एवं बी.कॉम की कक्षाओं को स्ववित्त पोषित योजनांतर्गत संचालित किये जाने हेतु प्रत्येक महाविद्यालय में 01 प्राचार्य, 11 असिस्टेण्ट प्रोफेसर, 02 एम.टी.एस., इस प्रकार दोनों

महाविद्यालयों हेतु कुल 02 प्राचार्य, 22 असिस्टेंण्ट प्रोफेसर, 04 एम.टी.एस. के पद सृजित किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

2. उक्त के अतिरिक्त महाविद्यालयों में नियुक्त किये जाने वाले शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को मानदेय का भुगतान तथा फर्नीचर, साज-सज्जा, बिजली बिल, कार्यालय व्यय आदि मदों में आवश्यक धनराशि की व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में रू. 64.08 लाख प्रति महाविद्यालय की दर से कुल रू. 128.16 लाख (आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय) की धनराशि का प्राविधान संघटक महाविद्यालयों पर व्यय मद अंतर्गत किये जाने का प्रस्ताव माननीय वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि संघटक महाविद्यालयों पर विश्वविद्यालय द्वारा अपने जनरल फण्ड से व्यय की जाने वाली धनराशि ऋण के रूप में होगी। इस धनराशि का व्यय दोनो महाविधालयों हेतु अलग से बैंक खाता खोल कर धनराशि का व्यय किया जायेगा।

समिति की कार्यवाही -

मान्नीय समिति द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

5. प्रस्तुत एजेण्डा बिन्दु संख्या - 05

फिजियोथैरेपी विभाग में संचालित होने वाली ओ.पी.डी. में मरीजों से ली जाने वाली शुल्क के निर्धारण के सम्बन्ध में।

विश्वविद्यालय के फिजियोथैरेपी विभाग में प्रतिदिन संचालित होने वाली ओ.पी.डी. में फिजियोथैरेपी कराने वाले मरीजों से शुल्क निर्धारित नहीं है। जिसके लिए समन्वयक के प्रस्तावानुसार मरीजों से उपचार हेतु न्यूनतम शुल्क रू0 30/- एवं केस टू केस के आधार पर अधिकतम शुल्क रू0 70/- किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उपचार की दरें न्यूनतम इसलिए रखी गई है ताकि अधिक से अधिक मरीज फिजियोथैरेपी कराने आये, जिससे विश्वविद्यालय के फिजियोथैरेपी विभाग में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं को प्रयोगात्मक सुविधा के साथ-साथ अधिक से अधिक सीखने का अवसर प्राप्त हो सके। अतः प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

समिति की कार्यवाही -

मान्नीय समिति द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

6. **प्रस्तुत एजेण्डा बिन्दु संख्या – 06**

विश्वविद्यालय में स्व–वित्त पोषित योजनान्तर्गत् कार्यरत् वाहन चालकों को नियमित वाहन चालकों के सम्तुल्य एक माह के मानदेय के बराबर प्रतिपूर्ति धनराशि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

कार्मिक अनुभाग–4, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 4–ई.एम./90–का–4–2007 दिनांक 06 जुलाई, 2007 द्वारा राज्य सरकार के वाहन चालकों को उनकी कठिन सेवाओं के दृष्टिगत् प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, जिन्होने एक वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर ली हो, उन वाहन चालकों को एक माह के मूलवेतन के सम्तुल्य प्रतिपूर्ति धनराशि जिसमें मंहगाई भत्ता सम्मिलित नहीं है अनुमन्य की जाती है। उक्त प्रतिपूर्ति धनराशि 12 माह की सेवा के आधार पर सम्बन्धित वर्ष के पहली मार्च में देय मूलवेतन के आधार पर प्रदान की जाती है।

अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय में स्व–वित्त पोषित योजनान्तर्गत् कार्यरत् वाहन चालकों को विगत् कई वर्षो से नियमित वाहन चालकों के भाँति एक माह के मानदेय के बराबर प्रतिपूर्ति धनराशि प्रदान की जाती रही है। परन्तु इस सम्बन्ध में खोज–बीन करने पर वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन उपलब्ध नहीं हो पाया है।

अतः उक्त तथ्य मान्नीय वित्त समिति के संज्ञान में लाते हुए स्व–वित्त पोषित योजनान्तर्गत् वाहन चालकों को नियमित वाहन चालकों की भाँति एक माह के मानदेय के बराबर प्रतिपूर्ति धनराशि प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव मान्नीय वित्त समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

समिति की कार्यवाही –

मान्नीय समिति द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

7. **प्रस्तुत एजेण्डा बिन्दु संख्या – 07**

विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु प्रति सेमेस्टर परीक्षा शुल्क का निर्धारण।

उच्च शिक्षा अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या यू0ओ0–45/सत्तर–1–2022 दिनांक 11 जुलाई, 2022 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या 2269/सत्तर–1–2022–16(50)/2021 टी0सी0 दिनांक 11 जुलाई, 2022 द्वारा परीक्षा शुल्क की दरों को निर्धारित किया गया है। उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 11 जुलाई, 2022 को अंगीकृत किये जाने का प्रस्ताव मान्नीय समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

समिति की कार्यवाही –

मान्नीय समिति द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा की गयी। समिति के समक्ष यह तथ्य भी प्रस्तुत किये गये कि उच्च शिक्षा विभाग के उपरोक्त शासनादेश के लागू होने के पश्चात् परीक्षा शुल्क के रूप में विश्वविद्यालय को प्राप्त होने वाली आय में कमी हो जायेगी जबकि साल में दो बार परीक्षा कराने पर व्यय भार में बढ़ौत्तरी होगी। समिति द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि–

1. उपरोक्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
2. विभिन्न विश्वविद्यालयों में लिए जा रहे शुल्क का तुलनात्मक अध्ययन कर विश्वविद्यालय के शुल्क में बढ़ौत्तरी हेतु कुलसचिव एवं वित्त अधिकारी की एक समिति गठित की गयी।

8. प्रस्तुत एजेण्डा बिन्दु संख्या – 08

गत् वित्त समिति की बैठक दिनांक 29.03.2022 के एजेण्डा बिन्दु संख्या 07 के संशोधन के सम्बन्ध में।

गत् वित्त समिति की बैठक दिनांक 29.03.2022 के एजेण्डा बिन्दु संख्या 07 पर विश्वविद्यालय के स्व–वित्त पोषित योजनान्तर्गत् कार्यरत् शिक्षकों को पी.एच.डी. उपाधि प्राप्त करने के उपरान्त दो वेतन वृद्धियां पी.एच.डी. उपाधि प्राप्त करने की तिथि से मान्नीय समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसे दिनांक 01.04.2022 से लागू किये जाने का प्रस्ताव मान्नीय समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

समिति की कार्यवाही –

मान्नीय समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर चर्चा की गयी। चर्चा के दौरान समिति के समक्ष यह भी तथ्य प्रस्तुत किये गये कि मानदेय में उक्त दो वृद्धियां स्वीकृत किये जाने के परिणाम स्वरूप एस.एफ.एस के अनेक वरिष्ठ शिक्षकों का मासिक मानदेय कनिष्ठ शिक्षकों से कम हो जायेगा और पूर्व से भी इस प्रकार की मासिक मानदेय की विसंगतियां चली आ रहीं हैं।

समिति द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि–

1. वित्त समिति की गत् बैठक दिनांक 29.03.2022 के एजेण्डा बिन्दु संख्या 07 पर लिए गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जाय।
2. वरिष्ठ शिक्षकों को कनिष्ठ शिक्षकों से कम मासिक मानदेय प्राप्त होने सम्बन्धी विसंगति के प्रकरणों का परीक्षण वित्त अधिकारी कर

लिया जाय एवं वित्त समिति की आगामी बैठक में मासिक मानदेय विसंगति निस्तारण के सम्बन्ध में युक्त-युक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय।

9. **प्रस्तुत एजेण्डा बिन्दु संख्या - 09**

विश्वविद्यालय की बचत की धनराशि को रिजर्व बैंक, केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत बॉण्ड/प्रतिभूतियों में निवेश किये जाने के सम्बन्ध में।

गत् वित्त समिति की बैठक दिनांक 29.03.2022 के एजेण्डा बिन्दु संख्या 17 पर बैंकों की एफ.डी.आर. पर व्याज दरें कम होने के कारण विश्वविद्यालय की बचत की धनराशि को रिजर्व बैंक द्वारा निर्गत बॉण्ड्स में, शासन की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त, निवेश करने की अनुमति प्रदान की गयी थी। मान्नीय समिति के संज्ञान में लाना है कि रिजर्व बैंक द्वारा उक्त बॉण्ड्स नियमित रूप से जारी नहीं किये जाते हैं, जिससे कि विश्वविद्यालय की बचत की धनराशि को प्राइमरी मार्केट के माध्यम से बॉण्ड्स में निवेश किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। अतः प्रस्ताव है कि रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्गत बॉण्ड्स में प्राइमरी मार्केट के माध्यम से निवेश करने के साथ-साथ केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत बॉण्ड अथवा केन्द्र सरकार की सहमति एवं गारण्टी से केन्द्र सरकार के उपक्रमों यथा नाबार्ड, आर.ई.सी., पावर कारपोरेशन आदि द्वारा निर्गत प्रतिभूतियों, एस.बी.आई., यू.टी.आई. के डैट फण्ड में प्राइमरी मार्केट के माध्यम से निवेश किये जाने का प्रस्ताव मान्नीय समिति के समक्ष इस प्रतिबन्ध के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है कि निवेश से पूर्व इस प्रस्ताव की स्वीकृति शासन से प्राप्त कर ली जायेगी।

समिति की कार्यवाही -

मान्नीय समिति द्वारा, शासन को प्रस्ताव प्रेषित कर अनुमति प्राप्त करने के निर्देश के साथ, प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

10. **प्रस्तुत एजेण्डा बिन्दु संख्या - 10**

स्ववित्त पोषित योजनांतर्गत कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की 10 वर्ष की सेवाएं पूर्ण होने के उपरांत अतिरिक्त मासिक मानदेय में वृद्धि स्वीकृत किये जाने के सम्बंध में।

वित्त समिति की बैठक दिनांक 20.09.2019 की कार्यवाही बिन्दु संख्या-02 पर निर्णय लिया गया था कि स्ववित्त पोषित योजनातंर्गत कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को 03 वर्ष से 10 वर्ष के मध्य सेवापूर्ण करने पर 10 प्रतिशत की एवं 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर 4 प्रतिशत की मासिक मानदेय वृद्धि दिनांक 31 मार्च 2019 से अनुमन्य

की गई थी। ऐसे शिक्षणेत्तर कर्मचारियों जिनकी तद्समय 10 वर्षो की सेवा पूर्ण नहीं थी और उन्हें 10 प्रतिशत की वृद्धि अनुमन्य की गई थी। प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार निम्न कर्मचारियों द्वारा 10 वर्ष की सेवा पूर्ण की जा चुकी है।

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	नियुक्ति तिथि	दिनांक 31.03.2022 तक सेवाकाल अवधि
1.	श्री प्रशान्त शर्मा	19.11.2011	10 वर्ष 4 माह
2.	श्री कृष्ण कान्त	19.11.2011	10 वर्ष 4 माह
3.	श्री अभिनव सेठ	19.11.2011	10 वर्ष 4 माह
4.	श्री राजेश कुमार वर्मा	23.01.2012	10 वर्ष 2 माह
5.	श्री शैलेन्द्र निरंजन	23.01.2012	10 वर्ष 2 माह

प्रशासन विभाग के प्रस्ताव के अनुसार उपरोक्त 05 कर्मचारियों को 4 प्रतिशत की मासिक मानदेय में अतिरिक्त वृद्धि स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव मान्नीय समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

समिति की कार्यवाही –

मान्नीय समिति द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

11. मान्नीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्तुत अन्य प्रस्ताव।

अनुपूरक एजेण्डा बिन्दु– 01

प्रो0 रोचना श्रीवास्तव, पूर्व आचार्य–पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग को पेंशन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त अनुपूरक प्रस्ताव पर समिति को निम्नवत् अवगत कराया गया–

प्रो0 रोचना श्रीवास्तव, पूर्व आचार्य–पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग के सम्बन्ध में कार्य परिषद के बिन्दु संख्या 10 पर लिए गये निर्णय दिनांक 28.06.2021 के अनुसार–

"प्रो0 रोचना श्रीवास्तव को पेंशन एवं ग्रेच्यूटी प्रदान की जा सकती है परन्तु वह बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय में अपना पेंशन का अंशदान जमा करेंगी क्यों कि उनकी पूर्व संस्था से पेंशन अंशदान प्राप्त नहीं हुआ है और यहां उनकी सेवाएं 10 वर्ष से कम हैं। इस सम्बन्ध में पेंशन अंशदान की गणना करते हुए

प्रो0 रोचना श्रीवास्तव से भुगतान हेतु सहमति प्राप्त की जाय। इस हेतु शासन को पत्र भेजकर उचित मार्गदर्शन प्राप्त किया जाय।'' तत्पश्चात् वित्त समिति की बैठक दिनांक 26.10.2021 में उक्त प्रकरण के निस्तारण हेतु प्रशासनिक समिति (जिसके नामित सदस्य वित्त अधिकारी, कुलसचिव एवं परीक्षा नियंत्रक होंगे) गठित करने एवं प्रकरण के शीघ्र निस्तारण करने की संस्तुति प्रदान की गयी।

वित्त समिति की बैठक दिनांक 26.10.2021 में लिए गये उपरोक्त निर्णय के क्रम में अवगत कराना है कि

1. प्रो0 रोचना श्रीवास्तव, पूर्व आचार्य–पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग आई.टी. कॉलेज लखनऊ में दिनांक 30.03.1993 से 23.11.2010 तक कार्यरत रही हैं। विश्वविद्यालय द्वारा आई.टी. कॉलेज लखनऊ से इनके द्वारा वहां पर की गयी सेवाओं की अवधि का Capitalized Value of Pension धनराशि की मांग की गई, जिस पर आई.टी. कॉलेज ने अपने पत्र दिनांक 05.02.2020 द्वारा सूचित किया गया कि प्रो0 रोचना श्रीवास्तव जी.पी.एफ. योजना से आच्छादित थी जिसके कारण इनके पेंशन अंशदान की धनराशि का भुगतान आई.टी. कॉलेज द्वारा नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि आई.टी. कॉलेज अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय है, जिसके शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन भत्तों एवं पेंशन का भुगतान शासन से प्राप्त बजट से वहन किया जाता है।

   उक्त से स्पष्ट होता है कि प्रो0 रोचना श्रीवास्तव के पेंशनरी अंशदान अद्यतन ब्याज सहित की देयता आई.टी. कॉलेज की न होकर उच्च शिक्षा विभाग, प्रयागराज की होगी।
2. इस सम्बन्ध में वित्त नियत्रंक– उच्च शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज से दूरभाष पर वार्ता की गयी थी वार्तानुसार वित्त नियंत्रक, उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया था कि प्रो0 रोचना श्रीवास्तव का पेंशनरी अंशदान पर अद्यतन ब्याज की गणना करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्ताव उच्च शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज को प्रेषित कर दिया जाये, जिससे कि उनके द्वारा पेंशनरी अंशदान (ब्याज सहित) का भुगतान विश्वविद्यालय के खातें में किया जा सके। तद्क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा प्रो0 रोचना श्रीवास्तव का Capitalized Value of Pension की गणना कर पेंशनरी अंशदान रू. 59,51,059/– मात्र की मांग अद्यतन व्याज सहित निदेशक–उच्च शिक्षा विभाग, प्रयागराज को पत्र संख्या बी.यू.

/आर.सी./2021/3801 दिनांक 03.12.2021 प्रेषित कर दी गयी थी। जिस पर उच्च शिक्षा, अनुभाग–4, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 963/सत्तर–4–2021 दिनांक 30 मई, 2022 एवं पत्र संख्या 06 डी.सी.एम./सत्तर–4–2022 दिनांक 14 जून, 2022 द्वारा शासन ने कतिपय सूचनाएं निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज से मांगी गयी है। वर्तमान में यह प्रकरण अभी भी शासन में विचाराधीन है।

समिति की कार्यवाही –

मान्नीय समिति द्वारा शासन को अनुस्मारक भेजने के निर्देश के साथ प्रस्ताव अवलोकित किया गया।

अनुपूरक एजेण्डा बिन्दु– 02

वर्ष 2022 की वार्षिक/सेमेस्टर की ओ.एम.आर. पद्धति पर आधारित परीक्षाओं में जैम्बलिंग चार्ट उनकी संगत कुँजियों एवं उनसे परीक्षा परिणाम अन्तिम रूप से तैयार किये जाने हेतु विश्वविद्यालय के शिक्षकों को योजित किया जाता है। उक्त कार्य अत्यन्त गोपनीय, समयवद्ध एवं संवेदनशील होता है जिसमें लगे शिक्षकों को प्रातः समय से पूर्व आकर देर रात तक कार्य करना पड़ता है। इस अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य में लगाये गये शिक्षकों के पारिश्रमिक निर्धारण करने के लिए परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 14.06.2022 के बिन्दु संख्या 11 पर लिए गये निर्णय के क्रम में परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रस्तावित पारिश्रमिक रू. 400/– (प्रति शिक्षक रू. 200/–) के प्रस्ताव को मान्नीय समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

समिति की कार्यवाही –

मान्नीय समिति द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

26/07/2022

(वसी मोहम्मद)
वित्त अधिकारी
सचिव (वित्त समिति)

20/07/2022

(प्रो. मुकेश पाण्डेय)
कुलपति
अध्यक्ष (वित्त समिति)

English Translation

Minutes of Meeting of the FINANCE COMMITTEE Dated 26-07-2022

Decision Related To Cash Reward

Page No. 4 Point No. 3.1

Provision of cash reward of Rs.51000/- to students winning Gold Medal, Rs.41000/- for Silver Medal and Rs.31000/- for Bronze Medal in All India/Inter University competitions for individual events.

Page No. 4 Point No. 3.1

Provision of award of Rs.31, 000/- for Gold, Rs.21,000/- for Silver and Rs.11,000/- for Bronze medal in All India and Khelo India Inter University competitions for team events.